

सेवा में,

**श्री श्री माध्यमिक शिक्षा विभाग,  
विश्वविद्यालय, दिल्ली**

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 25-6-03

**विषय:- शिक्षण पत्रिकाएँ प्रकाशित की सीपबिजनेसकी नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय की और आपका पत्रान आकृत करते हुए मुझे पत्र करने का निर्देश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय से **सीपबिजनेसकी** नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पर्यटन सीतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षण निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उच्चमाध्यमिक परीक्षा द्वारा संघामित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से उचित शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षण परिषद अध्यापक शिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण परिषद/कौशल पर दि दिग्दिपन क्लब स्टीपिड इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परीक्षा की संस्था प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता का राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान समतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था शिक्षण सर्व शिक्षणकार अभियानों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अभियानों को अनुमन्य करतमानों तथा अन्य भस्ती से कम वेतनमान तथा अन्य भस्ती नहीं दिने जायेगा।
- 161 अभियानों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त उच्चमाध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभियानों की अनुमन्य सेवा निवृत्त या काम उपलब्ध कराये जायेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत दिने जायेगा संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करत संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गुरु या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

**श्री श्री प्रकाश शर्मा  
विश्वविद्यालय**

पूर्वनिर्दिष्ट एवं दिनांक हीय

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुझावे एवं आचार्यक अपेक्षाओं हेतु उचित:-

- 1- शिक्षण निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षण निदेशक, दिल्ली।
- 3- शिक्षण विद्यालय निरीक्षण, **सुपारखण**।
- 4- निरीक्षण, ज्ञान भारतीय विद्यालय, उच्च, लखनऊ।
- 5- प्रमुख, **श्री श्री प्रकाश शर्मा सुपारखण**।
- 6- कोई शुभ।

**santosh sharma**  
Secretary  
Renaissance School  
Bulandshahr

Principal  
**Renaissance School**  
Bulandshahr